ARYAVART SHODH VIKAS PATRIKA
RNI TITLED NO. UPBIL04292RNI
REG. NO. UPBIL/2014/66218 **PP. No.- 148-150**
I S S N NO. - 2347 – 2944 (Print)
e-I S S N NO.- 2582 – 2454 (Online)
Vol.-18, No.-IV, Issues-34, YEAR-Oct-Dec. 2024

नक्सलवादः कारण और निवारण

डॉ0 विशाल कुमार श्रीवास्तव
असिस्टेंट प्रोफेसर–रक्षा एवं सामरिक अध्ययन, डी.ए.वी. कॉलेज, कानपुर (उ०प्र०), भारत

Received-01.11.2024, Revised-08.11.2024, Accepted-14.11.2024 E-mail : vksdav1@gmail.com

***सारांशः** वैचारिक, आर्थिक और राजनैतिक संघर्ष के उपरान्त नक्सलवाद का जन्म हुआ, जो 1967 से भारत की आन्तरिक सुरक्षा को प्रभावित कर रहा है। यह भारत में स्थापित लोकतांत्रिक सत्ता को उखाड़कर उसके स्थान पर साम्यवादी व्यवस्था और शासन स्थापित करना चाहता है। नक्सलवाद का आधार स्तम्भ, मार्क्सवाद, लेनिनवाद और माओवाद की वर्ग संघर्ष की अवधारणा में निहित है। इनका मानना है कि शोषक वर्ग अपने संसाधनों और अनुकूल परिस्थितियों के कारण आदिवासी, गरीब, मजदूरों को अपने शोषण का शिकार बनाते हैं। अतः इस व्यवस्था और शोषण के विरूद्ध शोषित वर्ग को एकत्र होकर हिंसक संघर्ष के द्वारा पूँजीपतियों, जमींदारों, साहूकारों और भ्रष्टाचार को खत्म करके सर्वहारा वर्ग की राजनीतिक सत्ता और साम्यवादी व्यवस्था की स्थापना करेंगे।*

***कुंजीभूत शब्द–** नक्सलवाद, वैचारिक, आर्थिक, राजनैतिक, लोकतांत्रिक सत्ता, साम्यवादी व्यवस्था, साम्यवादी व्यवस्था*

नक्सलवाद साम्यवादी दर्शन को स्वीकार करता हुआ एक हिंसक आंदोलन है, जो साम्यवाद की स्थापना अपना लक्ष्य मानता है। अतः इस लक्ष्य को प्राप्त करने में जो भी अवरोध आयेगा उसे किसी भी प्रकार समाप्त करना चाहता है, तभी इसका उद्देश्य पूर्ण होगा। नक्सलवाद का आदर्शवादी उद्देश्य, सामाजिक, राजनैतिक एवं आर्थिक समानता स्थापित करना, परन्तु आज के समय में अकारण हिंसा, अपराध, उग्रवाद, और अपहरण का सहारा लेकर देश के समक्ष आंतरिक सुरक्षा की चुनौती के रूप में उभरा है। शासन अभी तक नक्सलवाद की प्रकृति को लेकर स्पष्ट विचार नहीं स्थापित कर पाया है कि इसे कानून व्यवस्था की असफलता माना जाये अथवा राजनैतिक या सामाजिक आर्थिक समस्या मानी जाये। जब शासन नक्सलवाद के विरूद्ध दमनात्मक रणनीति का चयन करती है तो उस विशेष स्थान पर नक्सलवादी हिंसा कम हो जाती और अन्यत्र स्थान पर हिंसा बढ़ जाती है। शासन द्वारा किया गया नक्सलवाद के विरूद्ध प्रयास पूर्णतः सफल नहीं हुआ, इसके विपरीत नक्सलवादी देश की परिस्थित और समय अनुकूल तरीकों का चयन करके अपनी विचारधारा को आम जनता के मध्य स्थापित करते हैं। पूर्व वित्त मंत्री प्रणव मुखर्जी ने ष्नक्सलवाद को देश की शांति और सुरक्षा लिए सबसे बड़ा खतरा बताया।

नक्सलवादी आंदोलन की शुरूआत नक्सलवादी आंदोलन की शुरूआत 25 मई 1967 को पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले में स्थित नक्सलबॉडी गाँव से हुई। जब चाय बागान में काम करने वाले लोगों पर चाय बगान मालिक और पुलिस के संयुक्त हमले में 9 महिला और 2 बच्चे मारे गये। इस घटना ने नक्सलबाड़ी गॉव और समीप के अन्य गाँवों में असंतोष को जन्म दिया। देश की राजनीति में यह मुद्दा छा गया और कम्युनिस्ट पार्टी से सम्बन्ध वामपंथी घड़े में भुचाल आ गया। इसके परिणामस्वरूप दार्जिलिंग इकाई के कम्युनिस्ट पार्टी के जिला सचिव चारू मजूमदार ने ष्तराई दस्तावेजष् तैयार कराया, जो नक्सलबाडी हिंसा के विरूद्ध एक पत्र था। नक्सलबाड़ी के आदिवासियों ने, जमींदारों और सामन्तों के विरूद्ध चारू मजूमदार और कानू सान्याल के नेतृतव में हथियार उठा लिया। आदिवासियों ने जमींदारों पर हमला किया, उनकी सम्पत्ति को लूट और आग लगा दिया। सम्पूर्ण नक्सलबाडी क्षेत्र से भारतीय कानून व्यवस्था खतम हो गयी और वामपंथी विचारधारा से सम्बन्ध समानान्तर व्यवस्था चलने लगी। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट के नेता चारू मजूमदार ने मार्क्स, लेनिन और माओ के विचारों के आधार पर नक्सलबाड़ी में आंदोलन की रूपरेखा रखी, जो 1960 से आज तक लगातार कायम है। 1970–71 में चारू मजूमदार के नेतृत्व में आंदोलन चरम पर पहुँचा और इस आंदोलन का विचारधारात्मक नाम ष्नक्सलवादष् पड़ा। इस आंदोलन को बुद्धिजीवियों का सहयोग मिला। पिछले कुछ वर्षों में शासन के विकासात्मक और दमनात्मक नीति से नक्सलवाद प्रसार में कमी आई हैं।

नक्सलवाद का उद्देश्य नक्सलवादी भारतीय राज–व्यवस्था को अपना दुश्मन मानती है। इनका उद्देश्य हिंसक संघर्ष के द्वारा भारतीय शासन प्रणाली को पंगु कर देना और साम्यवादी शासन व्यवस्था की प्रणाली को स्थापित करना। देश में सब को शासन में और सम्पत्ति में बराबरी का अधिकार मिले, पूँजीवादी व्यवस्था का अंत हो। आज के समय नक्सलवाद अपने आदर्शवादी उद्देश्य को भूलकर हिंसा, अपराध एवं उग्रवाद के तरीकों को अपनाने के कारण देश, समाज, शासन और आंतरिक सुरक्षा के लिए गम्भीर चुनौती पैदा कर दिया है।नक्सलवाद का विस्तार नक्सलवादी आंदोलन जो पश्चिम बंगाल के छोटे से गाँव से प्रारम्भ हुआ, वह भारत के क्षेत्रफल के 40 फीसदी हिस्से को किसी ना किसी रूप में आच्छादित करता है। 2023 में नक्सलवाद प्रभावित राज्यों में आंध्र प्रदेश के 4 जिला, बिहार के 3, छत्तीसगढ़ के 9 जिलें, झारखण्ड के 12, मध्य प्रदेश के 3, महाराष्ट्र के 2, तेलंगाना के 2 और उड़ीसा के 5 जिलों में नक्सलवादी प्रभावशाली हैं।

नक्सलवादियों के कार्यक्रम–

1. सामन्ती तत्वों का विरोध।
2. सरकारी सम्पत्ति लूटना या नष्ट करना।
3. पुलिस बलों पर घात लगाकर हमले करके शासन का डर जनता के मध्य खतम करना।
4. जन अदालत के द्वारा त्वरित न्याय जनता को उपलब्ध कराना।
5. उद्योगों और ठेकेदारों से अपने क्षेत्र में लेवी वसूलना।

नक्सलवादी आंदोलन का प्रभाव–

1. सरकार के विकास कार्यों को अवरूद्ध करना।
1. 2 आम जनता का मानसिक परिवर्तन करके अपने संगठन का सदस्य बनना।
2. हत्या और लूटपाट करके अपने लिए संसाधन इकट्ठा करना।
3. सरकार को नक्सलवादियों के विरूद्ध अधिक धन व्यय करना पड़े, जिससे विकास कार्य अवरूद्ध हो जाये।

नक्सलवादी आंदोलन के चरण–

प्रथम चरण: इसका प्रथम चरण 1967–1980 तक था। इस चरण में मार्क्सवादी, लेनिनवादी माओवादी विचारधारा पर आधारित था, अतः वैचारिक आदर्शवाद का अनुकरण करता था। इस दोरान नक्सलवादी अपनी मजबूत पकड़ जनता के मध्य स्थापित करने में संलग्न थे।

द्वितीय चरण: इस चरण में नक्सलवाद का व्यवहारिक विकास हुआ, यह चरण 1980 से 2004 रहा, यह इस समय जमीनी अनुभव और जरूरत के अनुसार चलने वाला आंदोलन था।

तृतीय चरण: वर्ष 2004 से वर्तमान में जारी इस चरण में नक्सलियों का राष्ट्रीय स्वरूप उभरा और उनका सम्बन्ध विदेशों से बढ़ा।

नक्सलवाद से निपटने के सरकारी प्रयास –

राज्य सरकारों के प्रयास : 1970 में आम जनता को बंगाल सरकार ने सस्ते हथियार देना शुरू किया, जिससे वे नक्सलवादियों के खिलाफ लड़ सके।

1. आन्ध्र प्रदेश सरकार केन्द्र से सलाह मसविरा करके 1983 नक्सलवादियों से शांतिवार्ता चलाई।
2. राज्य सरकारें आत्म समर्पण करने वाले नक्सलवादियों को प्रोत्साहन और आर्थिक मदद की योजना चलाई।
3. 2009 में आंध्र प्रदेश सरकार ने श्अनाधिकारिकश् श्आपरेशन ग्रीन हटश् नक्सलवादियों के विरूद्ध चलाया। इसकी सफलता से नक्सलवादी प्रभावित हुये।
4. सलवा जुडूम यह 2005 में नक्सलवादियों के खिलाफ सरकार समर्थित जन–प्रतिरोध आंदोलन के रूप में शुरू हुआ। दंतेवाड़ा और बस्तर के आदिवासियों की गोड़ी भाषा में श्सलवा जुडूमश् का मतलब शांति मार्च है, परन्तु यह नक्सल के विरूद्ध लड़ने का तरीका था जो सफल हुआ पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बन्द करना पड़ा।

केन्द्र सरकार के प्रयास : आमतौर पर कानून व्यवस्था राज्य सूची का विषय है और इसका व्यवस्था राज्य करता है। 2006 में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने नक्सलवाद को भारत की सबसे बड़ी आन्तरिक सुरक्षा की समस्या माना। इसलिए गृह मंत्रालय के अन्तर्गत 2006 में अलग श्नक्सल प्रभाग की स्थापना किया गया।

1. भारत ने गैर कानूनी गतिविधि प्रतिरोधी अधिनियम 1967 के तहत श्एम०सी०सी० और श्पीपुल्स वार ग्रुपश को प्रतिबन्धित किया।
2. केन्द्र 2013 में नक्सल प्रभावित क्षेत्र में रोजगार परक योजना श्रोशनीश को संचालित किया।
3. 2007 में पुनर्वास और ष्पुनर्नियोजन नीतिष लोगों के विस्थापना को रोका।
4. केन्द्र सरकार ने नक्सल प्रभावित राज्यों के लिए कई मद में मुद्रा आवंटित किया, जिसमें सड़क के लिए आर०आर०पी०–1 8593 करोड़ आर०आर०पी०–2 में 11725 करोड और मोबाईल कनेक्टिवटी के लिए प्रथम और द्वितीय चरण में क्रमशः 356755 और 7330 करोड़ दिया।

समाधान योजना – 2017 में केन्द्र सरकार की नक्सलवाद के विरूद्ध आठ सूत्रीय योजना प्रारम्भ किया, जो इस प्रकार है रू

1. कुशल नेतृत्व (Smart Leadership)
2. आक्रामक रणनीति (Aggressive Strategy)
3. अभिप्रेरणा एवं प्रशिक्षण (Motivation and Training)
4. अभियोजना गुप्तचर व्यवस्था (Actionable & Intelligence)
5. कार्य योजना आधारित प्रदर्शन सूचकांक एवं परिणामोन्मुखी क्षेत्र (Dashboard based Key performance indicators)
6. कारगर प्रौद्योगिकी (Harnessing Technology)
7. प्रत्येक रणीनति की कार्ययोजना (Action Plan for each Threat)
8. (No access to financing) नक्सलियों के वित्त पोषण को विफल करने की रणीनीति

नक्सलवाद के जारी रहने का मूल कारण–

- राजनीति और प्रशासन में भ्रष्टाचार और इच्छाशक्ति का अभाव।
- बेरोजगारी, शोषण और निरक्षरता।
- जनहित योजना का अकुशल प्रबन्धन।
- सामाजिक विषमता, आदिवासियों के विकास की योजना का अभाव।
- जातीय भेदभाव व स्थानीय समस्या।
- लचीला कानून, विलम्बित न्याय, कड़ें कानून का अभाव।
- दुर्गम क्षेत्रों में रोजमर्रा की सुविधा का आभाव ।

I S S N NO. - 2347 – 2944 (Print)
e–I S S N NO.- 2582 – 2454 (Online)
Vol.-18, No.-IV, Issues-34, YEAR-Oct-Dec. 2024

समाधान के सुझाव–

1. शासन के समक्ष नक्सलवाद एक गम्भीर चुनौती है, इसका समाधान सरल नहीं पर संभव है।
2. गरीबी, बेरोजगारी पीड़ित शोषित, किसान, आदिवासी समुदाय को राष्ट्र की विकास की मूलधारा से
1. जुड़ना पड़ेगा तभी शांति स्थापित होगी।
2. कानून और न्याय व्यवस्था को सुलभ और जन सामान्य के लिए बनाना होगा।
3. कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना का प्रयास, जिससे व्यक्ति रोजगार पाने में समक्ष बनें।
4. सीमावर्ती नक्सल प्रभावित क्षेत्र में सुरक्षाबलों को आधुनिक सैन्य संसाधन उपलब्ध कराना।
5. मोबाइल कनेक्टिविटी का विस्तार करें जिससे आपस में लोगों में मेल जोल बढ़े।

सार–संग्रह– आज के समय में यातायात, संचार क्षेत्र में सुविधाऐं बढ़ी, इन सुविधाओं का उपयोग नक्सलवादी भी अपनी जरूरत के हिसाब से करने लगे। नक्सलवादी आज के समय में अन्य राष्ट्रों के सम्पर्क में भी है जो उन्हें पैसा और हथियार उपलब्ध कराते हैं। आज के समय नक्सलवादी आधुनिक तरीकों से सुरक्षा बलों, ठेकेदारों, जमींदारों और राजनेताओं की हत्या करते हैं। 2013 में नक्सलवादी सी०आर०पी०एफ० के एक जवान की हत्या करके उसके पेट में आर०डी०एक्स लगाकर सील कर दिया। इस घटना से उनकी घिनौनी कारतूत का पता चलता है।

वर्तमान परिवेश को देखकर यह आवश्यकता हो गया है कि केन्द्र और राज्य सरकारों को नक्सलवाद के विरूद्ध सहयोग दिखाते हुये व्यापक मुहिम चलाना चाहिए। 2012 में छत्तीसगढ़ के परवाजूर के नक्सल प्रभावित क्षेत्र के आदिवासियों में नक्सलवादियों के विरूद्ध आक्रोश बढ़ा वे कहते हैं कि नक्सलवादियों को हम भोजन दे सकते हैं पर अपने बच्चों को नक्सली नहीं बना सकते। इस प्रकार यदि सरकार स्थानीय स्तर पर आई जागरूकता को अपने पक्ष में करने का प्रयास करे और उन आदिवासियों, शोषितों और किसानों की जरूरत को समझे, उसे दूर करने का प्रयास करें, तो नक्सलवाद को भारत से सदा के लिए खतम किया जा सकता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. डॉ० सिंह, लल्लन जी, ष्राष्ट्रीय रक्षा और सुरक्षाष्, प्रकाश बुक डिपो, बरेली 2021, पृ० 144.
2. https://www.security_risk.com/Post/india-lwc-risk-list 2023
3. https://ww.dritti.as.com/hindi/priatpdf/on-killing-of-security-personnel-in-sukma
4. https://www.thehindu.com/opinin/op-ed/green-hunt-the-anatomy-ofan- opration/article168127
5. https://byjus.com/corrent.affair/salva-judum/
6. द हिंदू, 24 मई 2010
7. भारत सरकार, गृह मंत्रालय राज्य सभा तारांकित प्रश्न संख्या 94.

*****